न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर जिला जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री नेमा राम आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 319 / 2024
जीसीएमएस संख्या–2024 / 447

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1.अणदाराम पुत्र दलाराम जाति जाट निवासी ग्राम मालावास तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।		1.भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाड़शहर जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एलआर एक्ट

उपस्थित अधिवक्ता
1. श्री मंसूर अली छीपा प्रार्थी ओर से
2. तहसीलदार पीपाड़ शहर।

निर्णय

दिनांकः– 17/04/2026

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एलआर एक्ट प्रार्थनापत्र पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मालावास पटवार क्षेत्र मालावास तहसील पीपाड शहर की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 270 रकबा 2.0549 हैक्टेयर किस्म बारानी ए आई हुई है जो राजस्व रेकर्ड के खाता संख्या नया 02 व पुराना 02 पर प्रार्थी के नाम से इन्द्राजसुदा है। जिसके सबूत में जमाबंदी संवत 2075 से 2078 की सलंग्न है। प्रार्थी के खसरा संख्या 270 की पूर्वी दिशा की तरफ खसरा संख्या 270/01 स्थित है प्रार्थी को अपनी सीमा का ज्ञान नहीं होने से बाडबंदी करने दिवार निकालने व खेत की जुताई करने में असमर्थ है प्रार्थी चाहता है कि खसरा संख्या 270 जो उनका है जिसका सीमाज्ञान व पत्थरगडी हो जाए जिससे की पडोसी खेतों के खातेदारों से विवाद नहीं हो। मौके पर प्रार्थी के खेत के पूर्वी माठ के खसरा संख्या 270/1 के खातेदार सीमा को लेकर दिवार निकालने पर विवाद करते है व प्रार्थी को सीमाज्ञान तथा पत्थरगढी के बाद ही दिवार निकालने का कहते है। प्रार्थी के खेत की पत्थरगडी किये जाने से व सीमाज्ञान किये जाने से किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है तथा प्रार्थी अपने खेत की पत्थरगडी एवं सीमाज्ञान करवाने हेतू नियमानुसार शुल्क जमा करवाने हेतू तैयार है। प्रार्थी द्वारा ग्राम मालावास पटवार क्षेत्र मालावास तहसील पीपाड शहर की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 270 रकबा 0.0549 हैक्टेयर किस्म बारानी ए का सीमाज्ञान एवं पत्थरगडी किये जाने के सादर आदेश फरमाए जाने का निवेदन किया गया।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 01 तहसीलदार पीपाड़ शहर ने जवाब प्रस्तुत किया जिसके अनुसार राजस्व ग्राम मालावास के खसरा संख्या 270 जिसके नये खसरा संख्या 770 है का सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी आदेश किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है।

विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में निवेदन करते हुए कहा कि राजस्व ग्राम मालावास के खसरा संख्या 270 जिसके नये खसरा संख्या 770 है की भूमि का सीमांकन कर पत्थरगढ़ी के आदेश प्रार्थीगण के पक्ष में किया जाना न्याय संगत है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो के आधार पर यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार है इसलिए वादग्रस्त आराजी का नापचौक सीमांकन करवाकर पत्थरगढ़ी करवाई जाना न्यायसंगत है। अत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम मालावास के खसरा संख्या 270 जिसके नये खसरा संख्या 770 है, भूमि का टीम गठित कर नापचोक व सीमांकन कर रूबरू पक्षकारान् के सीमा कायम करते हुए पैमाइश करवाकर पत्थरगढी करावे। इस बाबत् नियमानुसार शुल्क प्रार्थीगण राजकीय कोष में जमा करवायेगें। तहसीलदार को तहरीर जारी हो।

(नेमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

निर्णय आज खुले न्यायालय लिखवाया जाकर दिनांक 17/04/2026 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो

(नेमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर